राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/कैला बांध अरनोद/2019–20/ 23715-25 दि.13.6.19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
प्रतापगढ ।

विषय– कैला बांध के विस्तृत सर्वे कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

प्रसंग : इस विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति कमांक ~~246~~24–28 दिनांक 30.05.2019 के कम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के कम में अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड प्रतापगढ का पत्र कमांक 336 दिनांक 31.05.2019 से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है –

कार्यकारी एजेन्सी–जल संसाधन विभाग

(राशि लाखों में)

क्र. स.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
		क./दि.	राशि	क./दि.	राशि
1	2	3	4	5	6
1	कैला बांध ग्राम व ग्राम पंचायत भाट भामरिया पं.स. अरनोद का सर्वे कार्य	336/31.05.2019	8.00	T 11/2019-20	7.97

उपरोक्त कार्य की राशि 7.97 लाख आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे विशेष केन्द्रीय सहायता राजस्व मद अन्तर्गत उपलब्ध अनटाईड बचत राशि 39.21 लाख में से देय होगी।

शर्तें:–

1. स्वीकृत कार्य यदि अन्य किसी स्त्रोत से पूर्व में स्वीकृत हो गया हो तो अविलम्ब सूचित करें। यदि दोहरा व्यय होता है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की रहेगी। राशि का उपयोग स्वीकृत कार्य पर ही किया जावे। वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।
2. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्वि ना हो। राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
3. निर्माण कार्यो का क्रियान्वयन एवं सम्पादन तकनीकी स्वीकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यकारी एजेन्सी के तकनीकी अधिकारियो का रहेगा। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्वि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी। कार्यादेश की प्रति इस विभाग को भिजवायें।
4. कार्य की प्रगति से नियमित रूप से अवगत कराने एवं उपयोगिता तथा कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्रेषित करने एवं बचत राशि पुनः विभाग को लौटाने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
5. परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि हस्तांतरित की जायेगी।

भवदीय

(भवानी सिंह देथा)
आयुक्त

P.T.O.

(12)

क्र.एफ 5/अभि/सीटीएडी/कैला बांध अरनोद/2019–20/23715-25 दि. 13.6.19

प्रतिलिपि –

1. विशिष्ठ सहायक,माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, उदयपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत भीलवाडा।
5. अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड प्रतापगढ।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे विशेष केन्द्रीय सहायता राजस्व मद अन्तर्गत उपलब्ध अनटाईड बचत राशि 39.21 लाख में से राशि 7.97 लाख परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ को हस्तांतरित करें
7. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
8. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. गार्ड पत्रावली।

अति.आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @gmail.com.,Website www.tad.rajasthan.gov.in